

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी)

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संख्या-2/पी05-207/08गृ0आ0...../ श्री राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी (मूल वरीयता, क्रमांक-16/09) सम्प्रति भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य को उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0-सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-22350/12 में दिनांक 26.06.2014 को एवं वाद सं0-सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-4545/15 में दिनांक 26.03.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्टाफ ऑफिसर के पद पर, वेतनमान पी0बी0-4, ग्रेड वेतन रु0 8700/- में इनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 14.06.2012 से दिनांक 08.11.2012 तक के लिये प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री प्रसाद दिनांक 09.11.2012 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश पा चुके हैं।

भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 (सी) सं0-29770/15 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक

ज्ञांपाक-2/पी05-207/08 गृ0आ0...../

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक 10.05.16

ज्ञांपाक-2/पी05-207/08गृ0आ0...../

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग/श्री राजेन्द्र प्रसाद, समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-4, डुमराँव/प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रशाखा-1 से अनुरोध है कि अवमाननावाद सं0-3535/15 राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार एवं अन्य से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव